

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.22(1)न्याय / 2024 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 10.07.2026

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नव पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	अमर सिंह बगड़िया	उप विधि परामर्शी	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	मोहम्मद जाहिद रशीद के स्थान पर
2.	ज्योति शर्मा	सहायक विधि परामर्शी	राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	रिक्त पद पर
3.	रोशन कुमार कोटिया	सहायक विधि परामर्शी	जिला कलक्टर कार्यालय भरतपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	अमर सिंह बगड़िया के स्थान पर उप विधि परामर्शी पद के विरुद्ध
4.	अभिजीत त्रिवेदी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	जिला परिषद, प्रतापगढ़	रामनिवास मीना के स्थान पर
5.	रामनिवास मीना	वरिष्ठ विधि अधिकारी	जिला परिषद, प्रतापगढ़	महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, जयपुर	अभिजीत त्रिवेदी के स्थान पर
6.	नवनीत तिवारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), अजमेर संभाग, अजमेर	निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर	रमेश बुनकर के स्थान पर
7.	अमूल्या दुबे	वरिष्ठ विधि अधिकारी	पुलिस आयुक्त, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	वित्त (विधि प्रकोष्ठ), शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
8.	गौरव चौधरी	वरिष्ठ विधि अधिकारी	निदेशालय, कोष एवं लेखा, जयपुर	अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	रिक्त पद पर
9.	नवीन कुमार चाहर	कनिष्ठ विधि अधिकारी	पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में	कार्यालय प्रधानाचार्य/प्राचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, झुन्झुनू	रिक्त पद पर वरिष्ठ विधि अधिकारी पद के विरुद्ध
10.	राहुल शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर (स्थानान्तरणाधीन)	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	रिक्त पद पर

(Handwritten Signature)
16/7/26

11.	कृतिका वर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), अलवर	राजस्थान स्टेट पॉवर फाईनैस एवं फाईनैसियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	रिक्त पद पर
-----	--------------	---------------------	--	---	-------------

इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/2024 पार्ट दिनांक 10.07.2026 के

क्रम संख्या 14, 15, 16 व 19 पर क्रमशः राकेश कुमार ओझा, संयुक्त विधि परामर्शी, जयश्री मीणा, संयुक्त विधि परामर्शी, अनिता सक्सेना, संयुक्त विधि परामर्शी एवं रूप बसंत शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी

क्रम संख्या 36 पर रामेश्वर सिंह लखावत, उप विधि परामर्शी, क्रम संख्या 67, 69 व 86 पर क्रमशः रेणु, सहायक विधि परामर्शी, पूजा, सहायक विधि परामर्शी एवं महेन्द्र कुमार सैनी, सहायक विधि परामर्शी

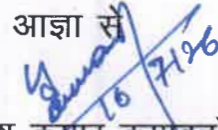
क्रम संख्या 124, 125 व 152 पर क्रमशः मोनिका शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी, पूजा गुप्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं संजय कुमार, वरिष्ठ विधि अधिकारी

क्रम संख्या 174, 179 व 180 पर क्रमशः अंकित सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी, प्रांजल मोदी, कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं ध्रुव कौशिक, कनिष्ठ विधि अधिकारी का किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जाता है।

आदेश के क्रम संख्या 18 के विशेष विवरण में रूप बसंत शर्मा की जगह नरेन्द्र कुमार आर्य, क्रम संख्या 173 के विशेष विवरण में स्वयं की प्रार्थना पर, की जगह प्रशासनिक आधार पर तथा क्रम संख्या 175 के विशेष विवरण में अंकित सिंह की जगह रिक्त स्थान पर पढ़ा जाये।

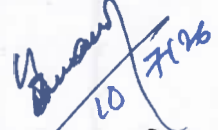
नोट:—उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारीगण इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसके लिए अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उक्त अधिकारीगण कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण रिपोर्ट एस.एस.ओ. आई.डी. से लॉगिन कर, इस विभाग के **Legal Officer Portal (LOP)** के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें, अन्य किसी माध्यम (भौतिक/ई-मेल/ई-डाक) से नहीं।

आज्ञा से

 (आशीष कुमार कुमावत)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. श्री/सुश्री/श्रीमती को पालनार्थ।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त शासन सचिव